संख्या-352/2015/464जीआई/नौ-5-15-180बजट/15

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक/निदेशक,
नगर निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 04 दिसम्बर, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी प्रपोजल (SCP-Smart City Proposal) बनाने हेतु अवमुक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स्टेट आरपीएमसी/115/39-अमृत/15, दिनांक नवम्बर, 2015 तथा भारत सरकार के आदेश संख्या-के-15017/01/2015/एससी-1, दिनांक 01 सितम्बर, 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी प्रपोजल (SCP-Smart City Proposal) बनाने हेतु** उत्तर प्रदेश के लिए अवमुक्त कुल धनराशि **रू0 24.00 करोड़ (रू0 चौबीस करोड़ मात्र)** को वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बीएम-9 के अनुसार अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि करोड़ रू0 में)

क्र0	शासनादेश एवं दिनांक	कार्यमद	कुल अवमुक्त धनराशि
1.	के-15017/01/2015-एससी-1 दिनांक 01.09.2015	**स्मार्ट सिटी मिशन** (SCM) के अन्तर्गत **स्मार्ट सिटी प्रपोजल** (SCP) बनाने हेतु	24.00
		योग	24.00

(रू0 चौबीस करोड़ मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले राष्ट्रीकृत बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं उक्त स्टेट नोडल खाते से लिंक नगरीय निकायों के **स्मार्ट सिटी मिशन** (SCM) के लिए खोले गये खाते में अन्तरित की जायेगी।

(2) **स्मार्ट सिटी मिशन** (SCM) के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(3) अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश बैंक/पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा, इसका रख-रखाव भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाए-051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा तथा लेखाशीर्षक *"2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाए-191-नगर निगमों को सहायता-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-जेएनएनयूआरएम की योजनाओं हेतु सहायता-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-2972/दस-15, दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-352/2015/464जीआई(1)/नौ-5-15-180बजट/15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक (स्मार्ट सिटी मिशन), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर–158 देखें)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम–37 नगर विकास विभाग पूँजी लेखा वित्तीय वर्ष: 2015–16 (धनराशि हजार ₹ में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
"2217–शहरी विकास–05–अन्य शहरी विकास योजनाएं–191–नगर निगमों को सहायता–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0102–जेएनएनयूआरएम की योजनाओं हेतु सहायता (के. 50/रा.20–के.+रा.) –35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	4000000	3403900	240000	240000	3760000
योग	4000000	3403900	240000	240000	3760000

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
"2217–शहरी विकास–05–अन्य शहरी विकास योजनाएं–051–निर्माण–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0101–स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	1	240001	240000	240000	240001
योग	1	240001	240000	240000	240001

1. **स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–**
   नगर निगमों के हेड में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष फिलहाल धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण बचत हो रही है।
2. **स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–**
   योजनान्तर्गत इस अभ्युक्ति के साथ अनुपूरक बजट से टोकन प्रावधान हुआ है कि आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत बचतों से वहन की जायेगी। अतः केन्द्र से प्राप्त धनराशि अवमुक्त किया जाना है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या:–160 /ई–8–2940/दस–2015, दिनांक 23 नवम्बर, 2015

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या–464जीआई(2)/नौ–5–2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– जिलाधिकारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4– मिशन निदेशक/निदेशक, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–8/वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1
6– गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।